

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 32/2017 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002.

एयु स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड

पता:- 19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 राजस्थान

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

- बनाम**
1. गोपाल सिंह गुर्जर पुत्र सरदार सिंह (ऋणी एवं बन्धककर्त्ता)
पता:- 963, मेहरों की ढाणी, दायरा, तहसील- श्रीमाधोपुर, जिला- सीकर, राजस्थान- 332709
दूसरा पता:- पट्टा नं.- 165, ग्राम खण्डेला में स्थित दुकान, वार्ड नं.- 12, तहसील-
खण्डेला, जिला सीकर, राजस्थान।
 2. नरेश पाल गुर्जर पुत्र गोपाल सिंह गुर्जर (सहऋणी)
पता:- वार्ड नम्बर- 5, मेहरों की ढाणी, दायरा, तहसील- खण्डेला, बरसिंहपुरा, श्रीमाधोपुर,
जिला- सीकर, राजस्थान, 332709
 3. सोनीदेवी पत्नी गोपाल सिंह गुर्जर (सहऋणी)
पता:- 963, मेहरों की ढाणी, दायरा, तहसील- श्रीमाधोपुर, जिला- सीकर, राजस्थान- 332709
 4. सांवरमल अग्रवाल पुत्र बाबू लाल (जमानती)
पता:-69, बनियों का मोहल्ला, भोजापुर, तहसील- श्रीमाधोपुर, जिला- सीकर, राजस्थान।
अप्रार्थीगण

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction
of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांक: 19 दिसम्बर, 2017

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री महेश शर्मा द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण गोपाल सिंह गुर्जर, नरेश पाल गुर्जर, सोनीदेवी, सांवरमल अग्रवाल को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में गोपाल सिंह गुर्जर पुत्र सरदार सिंह, की सम्पत्ति जो ग्राम खण्डेला में स्थित दुकान, पट्टा नम्बर- 165, वार्ड नम्बर-12, तहसील खण्डेला, जिला सीकर, राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 28.95 वर्गगज है, को बंधक रखकर 25,00,000/-रुपये (अक्षरे रूपये पच्चीस लाख मात्र) की ऋण

सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **21.07.2017** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी प्रकृत मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **21.07.2017** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में पदान शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण गोपाल सिंह गुर्जर, नरेश पाल गुर्जर, सोनीदेवी, सांवरमल अग्रवाल की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक गोपाल सिंह गुर्जर पुत्र सरदार सिंह, की सम्पत्ति श्री गाम खण्डेला में स्थित दुकान, पट्टा नम्बर- 165, वार्ड नम्बर-12, तहसील खण्डेला, जिला सीकर, राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 28.95 वर्गगज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
6. आदेश आज दिनांक: 19 दिसम्बर, 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर